

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

ज्ञानक / अकादमिक / ३० म० / २०२१ / १०४०

रीवा, दिनांक ५.८.२१

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत गणित के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

गणित अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	प्रो० आर०एन० सिंह, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) दो	1	डॉ० दिनकर प्रसाद शुक्ला, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० श्रीनाथ पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	डॉ० ओ०पी० नामदेव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग शास० कन्या महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)
		2.	डॉ० प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय हनुमना, रीवा (म०प्र०)
	28(2) चार	1.	डॉ० (श्रीमती) नीलम पाण्डेय, प्राध्यापक, गणित, शास० विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० राजीव श्रीवास्तव, सह-प्राध्यापक, गणित, शास० इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो० आर०एन० सिंह को गणित अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसीचंव ५.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समर्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समर्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज रासायन


राजा सिंह कुलसचिव (अकादमिक)
५.८.२१